पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्थाओं का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में वित्त लेखे में निहित जानकारी के विष्लेषण पर आधारित छत्तीसगढ़ शासन की वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया गया है । विष्लेषण राज्य सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय की प्रवृत्तियों, व्यय की गुणवत्ता तथा वित्त व्यवस्था पर आधारित है । इसके अतिरिक्त इस अध्याय में वित्त लेखे में निहित जानकारी तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अन्य जानकारी के आधार पर कतिपय अनुपातों तथा विकसित देशनाओं के आधार पर राज्य सरकार के वित्तीय निष्पादन के संदर्षकों के विष्लेषण पर एक प्रखण्ड भी समाविष्ट किया गया है । इस अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा **परिषिष्ट–I** में दी गई है ।

निष्चित दिवस (नवम्बर 2000) के तत्काल पूर्व संयुक्त मध्यप्रदेष राज्य की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के विभाजन के साथ ही उत्तराधिकारी छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेष राज्य के मध्य अन्य वित्तीय समायोजन प्रत्येक प्रकरण में उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है । इस संबंध में उपलब्ध वास्तविक प्रगति **परिषिष्ट–I–क** में दर्षायी गई है ।

1.2 राज्य की वित्तीय स्थिति

सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि एवं भवन जैसी स्थायी परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया गया । तथापि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं का तथा सरकार द्वारा किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों का समावेष तो हो ही जाता है । प्रदर्ष–I में 31 मार्च 2002 को ऐसी देयताओं तथा परिसम्पत्तियों का सारांष दिया गया है । इस विवरण पत्र की देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधारियां भारत सरकार से कर्जे एवं पेषगियॉ, लोक लेखे से प्राप्तियॉ तथा आरक्षित निधियॉ समाविष्ट हैं, जबकि परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे एवं पेषगियॉ तथा रोकड़ शेष[1] समाविष्ट है। 31 मार्च 2002 को छत्तीसगढ़ सरकार की उक्त तिथि को 2842 करोड़ रूपये की परिसम्पत्तियों के विरूद्व में 7421 करोड़ रूपये की देयताएँ थीं ।

---

[1] *छत्तीसगढ़ के प्रकरण में प्रत्येक प्रदर्ष एवं तालिका में वर्ष 2000–01 के ऑकड़ें केवल पांच माह अर्थात 1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक के हैं । अतः पूर्ववर्ती वर्षो के तदनुरूपी आंकड़ों से मिलान संभव नहीं है ।*

प्रदर्श–I

31 मार्च 2002 को छत्तीसगढ़ सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति :

(करोड़ रूपये में)

31.03.2001 को	देयताएँ	31.3.2002 को	
1941.33	**आन्तरिक ऋण**		2549.96
1167.40	ब्याज सहित बाजार कर्जे	1422.87	
1.43	ब्याज रहित बाजार कर्जे	1.23	
193.82	अन्य संस्थाओं से कर्जे	209.77	
—	अर्थोपाय पेषगियॉ	—	
—	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	—	
578.68	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं (एन एस एस) हेतु जारी विषेष प्रतिभूति	916.09	
2903.18	केन्द्र सरकार से कर्जे, पेषगियॉ	—	3105.14
132.51	1984–85 से पूर्व के कर्जे	119.05	—
916.46	योजनेत्तर कर्जे	898.89	
1803.40	राज्य योजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	2034.05	
15.93	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	15.28	
34.88	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्जे	37.87	
40.00			
1024.64	आकस्मिकता निधि		40.02
324.90	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि		1109.93
62.47	निक्षेप		501.49
(–) 94.37	आरक्षित निधियॉ		196.60
6202.15	उच्चन्त एवं विविध शेष		(–) 81.65
			7421.49
	परिसंपत्तियां		
1705.10	स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय		2181.36
(–) 2.27	कम्पनियॉ, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेष	15.30	
1707.37	अन्य पूंजीगत परिव्यय	2166.06	
138.34	**कर्जे एवं पेषगियॉ**		184.35
—[2]			
138.84	विद्युत परियोजनाओं हेतु कर्जे	5.13	
(–) 0.50	अन्य विकास कर्जे	180.75	
	सरकारी सेवकों को कर्जे एवं विविध कर्जे	(–) 1.53	
	आरक्षित निधि निवेश		
40.00	आकस्मिकता निधि का विनियोजन	—	—
1.53	पेशगियॉ		(–) 1.70
226.75	प्रेषण शेष		241.41
119.69	नकद		210.89
(–) 29.65	कोषालय में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0.10	
(–) 163.22	रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	(–) 111.62	
4.89	स्थाई नकद अग्रदाय सहित विभागीय नकद शेष	4.69	
307.67	नकद शेष निवेष	317.72	
3970.74	शासकीय लेखे में घाटा		4579.40
(–) 273.08	(प) चालू वर्ष/अवधि का राजस्व घाटा	568.66	
—	(पप) विविध शासकीय लेखे	—	
4243.82	(पपप) संचित घाटा	3970.74	
—	(पअ) आकस्मिकता निधि का विनियोजन	40.00[3]	
	अन्तर्राज्यीय समाषोधन	—	25.78
6202.15			7421.49

[2] वर्ष 2000–01 के लिए आंकडें अब तक विनियोजन किये जाने को है ।

[3] 2000–01 में सरकारी लेखे का आकस्मिकता निधि का विनियोजन बंद हैं इसलिए आकस्मिकता निधि के विनियोजन को इस वर्ष सरकारी लेखे पर घाटे के अन्तर्गत लिया गया है ।

प्रदर्श–[illegible]
वर्ष 2001–2002 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रूपये में)

		प्राप्तियां			संवितरण			
2000–01 (1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001)			2001–02	2000–01 (नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001)		2001–2002		
						योजनेत्तर	योजना	कुल
		अनुभाग क : राजस्व						
1882.92	I	राजस्व प्राप्तियॉं	4375.69	1609.84	I राजस्व व्यय	3927.91	1016.44	4944.35
749.69		कर राजस्व	1993.13	477.02	सामान्य सेवाऍं	1736.97	9.26	1746.23
288.23		कर भिन्न राजस्व	722.38	738.69	सामाजिक सेवाऍं	1316.17	598.58	1914.75
509.94		संघ करो का राज्यांष	1175.80	250.08	शिक्षा,खेल,कला एव संस्कृति	570.14	125.30	695.44
108.67		आयोजनेत्तर अनुदान	180.88	77.12	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	126.87	104.67	231.54
161.23		राज्य आयोजनागत योजना हेतु अनुदान	148.03	69.03	जल प्रदाय, स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास	63.47	134.20	197.67
				2.65	सूचना एवं प्रसारण	7.46	0.01	7.47
				186.20	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण	351.47	151.34	502.81
				7.96	श्रम एवं श्रम कल्याण	13.66	7.46	21.12
				145.40	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	182.28	75.48	257.76
				0.25	अन्य	0.82	0.12	0.94
65.16		**केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजना हेतु अनुदान**	**155.47**	**347.20**	**आर्थिक सेवायें**	**741.98**	**408.60**	**1150.58**
–				173.75	कृषि एवं संलग्न गतिविधियॉं	353.34	114.03	467.37
				75.30	ग्रामीण विकास	110.04	232.49	342.53
				–	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–
				33.31	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	62.50	21.85	84.35
				4.29	ऊर्जा	64.38	18.05	82.43
				11.02	उद्योग एवं खनिज	15.34	19.88	35.22
				45.82	परिवहन	129.72	1.66	131.38
				0.03	विज्ञान तकनीकी एव पर्यावरण	0.02	–	0.02
				3.68	सामान्य आर्थिक सेवायें	6.64	0.64	7.28
				46.93	**सहायता अनुदान एवं अंषदान**	**132.79**	**–**	**132.79**
	II	**अनुभाग ख को अग्रेनीत राजस्व घाटा**	**568.66**	**273.08**	**II अनुभाग–ख को अग्रेनीत राजस्व बचत**			
1882.92		**योग – क**	**4944.35**	**1882.92**	**योग**	**3927.91**	**1016.44**	**4944.35**
(–) 44.57	**III**	**अनुभाग–ख स्थाई पेषगियों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष**	**119.69**		**III भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्ष**			
	IV	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**		**8.47**	**IV पूंजीगत परिव्यय सामान्य सेवाऍं**	**–**	**20.08**	**20.08**
				43.66	**सामाजिक सेवाऍं**	**2.49**	**103.97**	**106.46**
				0.60	शिक्षा,खेल,कला एवं संस्कृति	–	2.05	2.05
				2.05	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	–	12.41	12.41
				22.54	जल प्रदाय,स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2.49	53.69	56.18
				–	सूचना एवं प्रसारण	–	–	–
				18.44	अ.जा.,अ.ज.जा. एवं अ. पि. व. कल्याण	–	34.86	34.86
				–	सामाजिक कल्याण एव पोषाहार	–	0.84	0.84
				0.03	अन्य सामाजिक सेवायें	–	0.12	0.12
				168.38	**आर्थिक सेवाएं**	**18.43**	**331.28**	**349.71**
				0.24	कृषि एव संलग्न गतिविधयॉं	1.30	17.57	18.87
				95.61	ग्रामीण विकास	–	22.45	22.45
				52.64	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण	0.07	204.12	204.19
				–	ऊर्जा	–	–	–
				0.99	उद्योग एवं खनिज	0.05	2.87	2.92
				18.90	परिवहन	16.84	84.28	101.12
					सामान्य आर्थिक सेवायें	0.16	–	0.16
				220.51	**योग**	**20.92**	**455.33**	**476.25**

प्रदर्श–II (निरंतर)

प्राप्तियाँ				संवितरण			
2000–01			2001–02	2000–01		2001–2002	
–	V	अन्तराज्यीय समाषोधन	5.57		V अन्तर्राज्यीय समाषोधन	–	31.35
1.31	VI	कर्जे एवं पेषगियों की वसूलियाँ	3.51	3.74	VI कर्जे एवं पेषगियों का संवितरण	–	49.52
–		विद्युत परियोजना से	–	0.28	विद्युत परियोजनाओं हेतु	5.13	
0.78		सरकारी सेवको से	2.38	3.46	सरकारी सेवकों को	1.36	
0.53		अन्य से	1.13	–	अन्य को	43.03	
237.08	VII	अधनीत राजस्व बचत		–	VII अधनीत राजस्व घाटा		568.66
347.82	VIII	लोकऋण प्राप्तियाँ	994.61	189.49	VIII लोक ऋणों का पुनर्भुगतान		184.02
205.67		अर्थोपाय पेषगियों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	653.75	18.76	अर्थोपाय पेषगियाँ तथा अधिविकर्ष के अलावा आन्तरिक ऋण	45.12	
–		अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेषगियों के अधीन निवल लेन–देन	–	108.51	अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेषगियों का पुनर्भुगतान	–	
142.15		केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेषगियाँ	340.86	66.22	केन्द्र सरकार को कर्जे एवं पेषगियों के पुनर्भुगतान	138.90	
	IX	आकस्मिकता निधि को विनियोग		40.00	IX आकस्मिकता निधि को विनियोग	–	
40.00	X	आकस्मिकता निधि को अन्तरित राषि			र आकस्मिकता निधि से व्यय		(–)0.02
2009.12	XI	लोक लेखे प्राप्तियां	5620.09	2053.32	XI लोक लेखा संवितरण		5222.80
181.82		लद्यु बचतें एवं भविष्य निधियां	428.45	131.70	लद्यु बचतें एवे भविष्य निधियाँ	343.16	
49.44		आरक्षित निधियां	149.42	–	आरक्षित निधियां	15.29	
1112..63		उच्चंत एवं विविध	2784.30	1218.93	उच्चंत एवं विविध	2771.58	
300.85		प्रेषण	1355.85	374.72	प्रेषण	1370.52	
364.38		निक्षेप एवं पेषगियाँ	902.07	327.98	निक्षेप एवं पेषगियां	722.25	
	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष	–	119.69	XII वर्ष के अंत में रोकड़ ष्षेष		210.89
				(–)29.65	कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.10	
				(–)163.22	रिजर्व बैंक के पास जमा	(–)111.62	
				4.89	स्थायी अग्रदाय रोकड़ सहित विभागीय रोकड़ शेष	4.69	
				307.67	रोकड़ शेष निवेष तथा उद्दिष्ट निधि निवेष	317.72	
2626.76		योग	6743.47	2626.76	योग		6743.47

प्रदर्श–III
निधियों के स्त्रोत एवं उपयोग

(राषि करोड़ रूपये में)

2000–01 (नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001)		स्त्रोत	2001–02		
राशि	**प्रतिशत**		**राशि**	**राशि**	**प्रतिशत**
1882.92	87	राजस्व प्राप्तियां		4375.69	78
1.31	–	कर्जे एवं पेषगियों की वसूलियां		3.51	–
158.32	7	लोक ऋण मे वृद्धियां		810.59	15
135.96	6	लोक लेखा से प्राप्तियां		411.96	07
50.12	–	अ. लद्यु बचतों में वृद्धि	85.29		
36.40		ब. निक्षेपो एवं पेषगियों में वृद्धि	179.82		
49.44		स. आरक्षित निधियों में वृद्धि	134.13		
		द. प्रेषण लेन–देनों का प्रभाव	–		
		इ. उच्चंत एवं विविध	12.72		
		नगद अन्तिम शेष में ह्रास			
2178.51	**100**	**योग**	**–**	**5601.75**	**100**
		उपयोग			
1609.84	74	राजस्व व्यय		4944.35	88
3.74	–	विकास एवं अन्य उद्देष्यों हेतु उधार देना		49.52	01
220.51	10	पूंजीगत व्यय		476.25	09
–	–	आकस्मिक व्यय निधि लेन–देनो का निवल प्रभाव		(–) 0.02	–
180.16	8	लोक लेखा से उपयोग		14.67	
106.29	–	अ. उच्चंत एव विविध लेन देनो का निवल प्रभाव			
		ब. विविध सरकारी लेखा			
73.87	–	स. प्रेषण लेनदेनों का प्रभाव	14.66	–	–
164.26	8	अंतिम नकद शेषों में वृद्धि		91.20	02
		अन्तर राज्य समाषोधन		25.78	
2178.51	**100**	**योग**		**5601.75**	**100**

प्रदर्श I, II एवं III हेतु स्पष्टीकरण टिप्पणियां :

1. विवरण पत्रों में दर्षाए गए संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़े जाये ।
2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण प्रदर्ष–1 मे यथादर्षित सरकारी लेखे में घाटा, वाणिज्य लेखे में उपार्जित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार के आकड़े इत्यादि में मूल्यहास अथवा भिन्नता जैसे मदे लेखे में नहीं दर्षाई गई है ।
3. उच्चंत एवं विविध शेषों में जारी किये गये परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लंबित समाषोधन सम्मिलित है ।
4. रोकड़ शेष में समाविष्ट रिजर्व बैंक में जमा से संबंधित लेखाओं में प्रतिविम्बित आकड़ों यथा 11.32 करोड़ रूपये (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 1116237 लाख रूपये (जमा) के मध्य 1104920 लाख रूपये (जमा) का अन्तर है । 31 मार्च 2002 के लेखाओं को बन्द करने के पष्चात मिलान योग्य निवल अन्तर की राषि 1.13 करोड़ रूपये (जमा) है ।

प्रदर्श–IV

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण

(करोड़ रुपये में)

2000–01 (नवंबर 2000 से मार्च 2001)	**भाग–क प्राप्तियां**	**2001–02**
1883 (84)	**1. राजस्व प्राप्तियां**	**4376 (81)**
750 (40)	(1) कर राजस्व	1993 (46)
354 (47)	विक्रय व्यापार आदि पर कर	940(47)
123 (16)	राज्य आबकारी	314(16)
62 (8)	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	121 (6)
61 (8)	माल एवं यात्रियों पर कर	196 (10)
150 (21)	अन्य कर	422 (21)
288 (15)	(पप) कर भिन्न राजस्व	722 (16)
199 (69)	खनन तथा धातु उद्योग	454 (63)
46 (16)	वानिकी तथा वन्य जीवन	98 (14)
43 (15)	अन्य	170 (5)
510 (27)	(पपप) संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश	1176 (27)
335 (18)	(पअ) भारत सरकार से सहायतानुदान	485 (11)
–	**2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	**–**
1883	**3. कुल राजस्व एवं ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2)**	**4376**
01	**4. कर्जे एवं पेशगियों की वसूली**	**04**
–	**4 (अ). अन्तर्राजीय निराकरण**	**05**
348(16)	**5. लोक ऋण प्राप्तियां**	**995(18)**
206 (59)	आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष छोड़कर)	654 (66)
142 (41)	अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष के अन्तर्गत निवल लेन देन	–
	भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां	341 (34)
2232	**6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (3+4+4(अ)+5)**	**5380**
40	**7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां**	
2009	**8. लोक लेखा प्राप्तियां**	**5620**
4281	**9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)**	**11000**
	भाग–ख व्यय एवं संवितरण	
1610 (88)	**10. राजस्व व्यय**	**4945 (90)**
295 (18)	आयोजनागत	1016 (21)
1314 (82)	योजनेत्तर	3928 (79)
477 (30)	सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	1746 (35)
739 (46)	सामाजिक सेवायें	1915 (39)
347 (22)	आर्थिक सेवायें	1150 (23)
47 (2)	सहायता अनुदान एवं अंशदान	133 (3)

क्रमशः

* भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय पेशगियां सम्मिलित है।

2000–01			**2001–02**	
	221 (12)	**11. पूंजीगत व्यय**		**476 (9)**
222 (100)		आयोजना	455 (96)	
(–) 01		योजनेत्तर	21 (4)	
08 (4)		सामान्य सेवायें	20 (4)	
44 (20)		सामाजिक सेवायें	106 (22)	
168 (76)		आर्थिक सेवायें	350 (74)	
	04	**12. कर्जे एवं पेशगियों का संवितरण**		**50 (1)**
		12 (अ) अंतर्राजीय निराकरण		**31**
	1835	**13. कुल व्यय (10+11+12+12 (अ))**		**5502**
	190	**14. लोक ऋण का प्रतिभुगतान**		**184**
19 (10)		आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष छोड़कर)	45 (24)	
109 (57)		अर्थापाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निबल लेन देन	–	
62 (33)		भारत सरकार कर्जे एवं पेशगियां	139 (76)	
	40	**15. आकस्मिक व्यय निधि में विनियोग**		**(–) 0.02**
	2065	**16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)**		**5686**
		17. आकस्मिक व्यय निधि संवितरण		**–**
	2053	**18. लोक लेखा संवितरण**		**5223**
	4118	**19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)**		**10909**
		भाग–ग घाटा		
	(–)273	**20. राजस्व घाटा (1–10)**		**569**
	(–)49	**21.राजकोषीय घाटा (3+4+4 (अ)–13)**		**1117**
	(–)335	**22.प्राथमिक घाटा (21–23)**		**386**
		भाग– घ अन्य आंकड़े		
	286	**23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)**		**731**
	–	**24. राजस्व बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)**		**0.01**
	37	**25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता**		**177**
	01	**26. ली गई अर्थोपाय पेशगियां /अधिविकर्ष (दिन)**		**–**
	–	**27. अर्थोपाय पेशगियों /अधिविकर्ष पर ब्याज**		**–**
	10782	**28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद**		**30265**
	6255	**29. बकाया ऋण (वर्षान्त)**		**7463**
	–	**30. बकाया गारंटियां (वर्षान्त)**		**466**
	–	**31. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)**		**508**
	60	**32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या**		**59**
	1449	**33. अपूर्ण परियोजनाओं अवरूद्ध पूंजी**		**1597**

टिप्पणी(प)– कोष्टकों में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उप शीर्ष के पूर्णांकन की प्रतिशतता दर्शातें हैं।

भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय पेशगियां सम्मिलित हैं

मध्य प्रदेश के उत्तराधिकारी राज्य एवं छत्तीसगढ़ के मध्य बंटवारे के लिए रखे गये 97.10 करोड़ रूपये

1.3 राज्य सरकार के वित्तीय कार्यचालन

1.3.1 प्रदर्ष–क में वर्ष के दौरान राज्य सरकार की प्राप्तियॉ और उसके द्वारा किए गये संवितरणों के विवरण दिये गये है । वर्ष 2001–2002 के दौरान राजस्व व्यय (4945 करोड़ रूपये), राजस्व प्राप्तियों (4376 करोड़ रूपये) से अधिक थी फलस्वरूप 569 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा रहा । राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (1993 करोड़ रूपये) कर भिन्न कर (722 करोड़ रूपये), संघ करों एवं शुल्कों का राज्यांष (1176 करोड़ रूपये) तथा केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान (485 करोड़ रूपये) समाविष्ट है । कर राजस्व के मुख्य स्त्रोत विक्रय पर कर (47 प्रतिषत), राज्य उत्पाद कर (16 प्रतिषत) तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क (6 प्रतिषत) तथा माल और यात्रियों पर कर (10 प्रतिषत) है । कर भिन्न राजस्व मुख्यतः खनन तथा धातु कर्मीय उद्योगों (63 प्रतिषत) तथा वानिकी एवं वन्य जीवन (14 प्रतिषत) से प्राप्त हुआ ।

1.3.2 पूंजीगत प्राप्तियों में कर्जें एवं पेषगियों की वसूलियों से प्राप्त 4 करोड़ रूपये तथा लोक ऋणों से प्राप्त 995 करोड़ रूपये समाविष्ट है इसकी तुलना में पूंजीगत परिव्यय 476 करोड़ रूपये, कर्जों एवं पेषगियों के वितरण पर 50 करोड़ रूपये तथा लोक ऋणों के पुनर्भुगतान पर 184 करोड़ रूपये का व्यय हुआ । लोक लेखा में 5620 करोड़ रूपये प्राप्त हुये इसकी तुलना में 52.23 करोड़ रूपये संवितरित हुए । समेकित निधि, आकस्मिक व्यय निधि एवं लोक लेखे में लेनदेनों का निवल प्रभाव यह हुआ कि वर्ष के अंत में रोकड़ शेष में 91 करोड़ रूपये तक की वृद्धि हो गई ।

1.3.3 प्रदर्ष–ब में दी गई जानकारी के संदर्भ में राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय से संबंधित वित्तीय कार्यचालन का नीचे की कंडिकाओं में उल्लेख किया गया एवं नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2002 तक की अवधि हेतु समय श्रेणियॉ डेटा प्रदर्ष–ट में प्रस्तुत किया गया है ।

1.4 निधियों के स्त्रोत और उनका उपयोग

1.4.1 प्रदर्ष–ग में अवधि के दौरान निधियों के स्त्रोत और उनके उपयोग की स्थिति की जानकारी दी गई है । निधियों के मुख्य स्त्रोतों में सरकार की राजस्व प्राप्तियॉ, कर्जें एवं पेषगियों की वसूलियॉ लोक ऋण तथा लोक लेखे से प्राप्तियॉ सम्मिलित है । इन निधियों का मुख्य रूप से उपयोग राजस्व और पूंजीगत व्यय तथा विकास संबंधी उद्देष्यों के लिए उधार देने के लिए किया जाता है । यह देखा जा सकता है कि राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकार की निधि का अत्यधिक महत्पूर्ण स्त्रोत है, जबकि संबंधित अंष 2000–01 में 87 प्रतिषत से अवधि 2001–02 में 78 प्रतिषत घटा । अवधि 2001–02 में लोक लेखा से निवल प्राप्तियॉ 6 प्रतिषत से 7 प्रतिषत बढ़ी । लोक ऋण से प्राप्तियॉ 2000–01 में 7 प्रतिषत से अवधि 2001–02 में 15 प्रतिषत बढ़ी ।

1.4.2 निधियों का उपयोग मुख्य रूप से राजस्व व्यय हेतु किया गया और उसका अंष 88 प्रतिषत था जो राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियॉ अंश की अपेक्षा (78 प्रतिषत) अधिक रहा । इससे अवधि के दौरान 569 करोड़ रूपये का राजस्वघाटा हुआ । पूंजीगत व्यय के प्रतिषत में 10 प्रतिशत से 8.5 प्रतिषत की गिरावट आई जो कुल प्राप्तियों में लोक ऋण एवं लोक लेखे के संयुक्त अंश के 22 प्रतिषत के अनुरूप नहीं थी।

1.5 राजस्व प्राप्तियॉ

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतः कर एवं कर भिन्न राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्तियॉ समाविष्ट है । उनके सापेक्षिक अंष आकृति 1 में दर्षाये गये हैं । 2001–2002 के दौरान राजस्व प्राप्तियॉ सरकार के कुल स्त्रोतों का 78 प्रतिषत थी ।

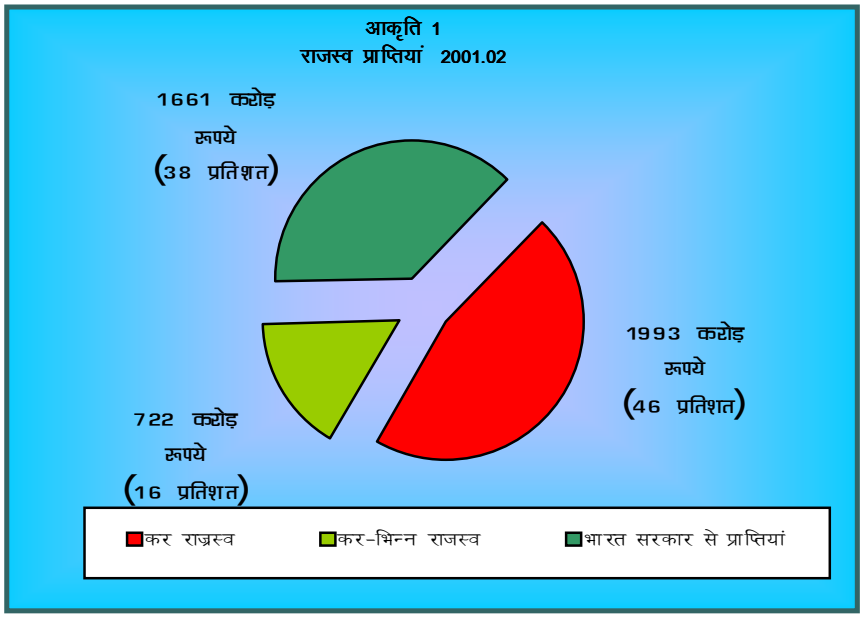

1.5.2 कर राजस्व

इसमें राजस्व प्राप्तियों का बड़ा संघटक (46 प्रतिषत) सम्मिलित है । प्रदर्ष–प्ट दर्षाता है कि अवधि के दौरान विक्रय कर का तुलनात्मक अंशदान 47 प्रतिषत था जबकि राज्य उत्पाद ष्शुल्क 16 प्रतिशत, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस 6 प्रतिषत तथा माल एवं यांत्रियों पर कर 10 प्रतिषत था जबकि अन्य कर ने राजस्व प्राप्ति कर का शेष 21 प्रतिषत निर्माण किया ।

1.5.3 कर भिन्न राजस्व

कर भिन्न राजस्व आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत है और इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों मे इसका अंष 16 प्रतिषत था । मुख्य अंषदान खनन तथा धातुकर्म उद्योग (63 प्रतिषत) तथा वानिकी तथा वन्य प्राणी से (14 प्रतिषत) था ।

1.5.4 संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांष तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायतानुदान

संघीय करों का राज्यांष (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर और निगम कर) 27 प्रतिषत और भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान 11 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिषतता के रूप में यह उस अवधि के दौरान (दोनो को मिलाकार) 38 प्रतिषत रहा जो केन्द्रीय प्राप्तियों पर निर्भरता को दर्षाता है।

1.6 राजस्व व्यय

1.6.1 राजस्व व्यय पर राज्य सरकार ने अधिकतम व्यय (90 प्रतिषत) किया । योजनेत्तर घटक राजस्व व्यय का 79 प्रतिषत था जबकि आयोजनागत व्यय केवल 21 प्रतिषत था ।

1.6.2 क्षेत्रवार व्यय दर्षाता है कि सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित) 35 प्रतिषत (1746 करोड़ रूपये) एवं, सामाजिक सेवाओं पर 39 प्रतिषत (1915 करोड़ रूपये) था जबकि आर्थिक सेवाओं पर व्यय केवल 23 प्रतिषत (1150 करोड़ रूपये) था ।

1.6.3 ब्याज भुगतान

अवधि के दौरान ब्याज भुगतान 731 करोड़ रूपये थे और राजस्व व्यय की तुलना मे 14.8 प्रतिषत था । इसका आगे वित्तीय संसूचकों (कंडिका 1.11.3 (पप) पर प्रखण्ड में उल्लेख किया गया है ।

1.6.4 स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

अवधि के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को प्रदत्त आर्थिक सहायता की मात्रा निम्न प्रकार थी

(करोड़ रूपये में)

	2001–02 (1 नवम्बर से 31 मार्च 2001)	**2001–02**
शिक्षा	32.38	85.75
जल प्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	4.91	8.76
सार्वजनिक उपक्रमों	00.13	2.03
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	–	64.25
कृषि एवं संलग्न गतिविधियॉ	–	15.58
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	–	0.02
योग	**37.42**	**177.39**
राजस्व व्यय की प्रतिषतता के रूप में सहायता	2.32	3.58

सहायता राषि का एक बड़ा भाग (48 प्रतिषत) केवल शैक्षिणिक संस्थाओं द्वारा ही लेखांकित किया गया है ।

1.7 पूँजीगत व्यय

1.7.1 पूँजीगत व्यय से सामान्यतः परिसम्पत्तियां सृजित होती है । इसके अतिरिक्त अषासकीय संस्थाओं अथवा उपक्रमों जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों इत्यादि में निवेष की गई धनराषि तथा कर्जे एवं पेषगियों से वित्तीय परिसंपत्तियॉ सृजित होती हैं । प्रदर्ष–प्ट दर्षाता है कि पूंजीगत व्यय मुख्यतः आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं पर किया गया है । इसके अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का 96 प्रतिषत आयोजना पक्ष में था ।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कर्जे एवं पेषगियॉ

1.7.2 सरकार, सरकारी कम्पनियों, निगमों, स्थानीय निकाय, स्वायत्तषासी निकायों, सहकारी गैर सरकारी संस्थाओं आदि को विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक क्रियाकलापों के लिये कर्जे एवं पेषगियॉ देती है । नवम्बर 2000 से मार्च 2002 तक की अवधि हेतु स्थिति नीचे दी गई हैः–

(करोड़ रूपये में)

	2000–01 (1 नवम्बर से 31 मार्च 2001)	**2001–02**
प्रारंभिक शेष (अनन्तिम)	135.91	138.34
वर्ष के दौरान दी गई राशि	3.74	49.52
वर्ष के दौरान प्राप्त	1.31	3.51
पुनर्भुगतान	138.34	184.35
अंतिम शेष	2.43	46.01
निवल जोड़	0.03	0.03
प्राप्त ब्याज		

1.8 व्यय की गुणवत्ता

1.8.1 सरकार कानून तथा व्यवस्था एवं विनियामक कार्यों से लेकर विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों तक विभिन्न गतिविधियों के लिए धन व्यय करती है । सरकारी व्यय मोटे तौर पर आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर, तथा राजस्व एवं पूँजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है । आयोजनागत तथा पूंजीगत व्यय सामान्यतः परिसम्पत्तियों के सृजन से संबंधित होते हैं, जबकि योजनेत्तर एवं राजस्व व्यय स्थापना, संधारण एवं सेवाओं पर व्यय के रूप में जाने जाते हैं । अतः सामान्यतः पारिभाषिक रूप में आयोजना तथा पूंजीगत व्यय को व्यय की गुणवत्ता में योगदान के रूप में देखा जा सकता है ।

1.8.2 व्यर्थ में किया गया सार्वजनिक व्यय निधियों का व्यपवर्तन तथा अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध निधियॉ व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी । इसी प्रकार, निधियों को व्यय के रूप में लेखांकित करने के उपरान्त उन्हें लोक लेखे में जमा शीर्ष में अन्तरित करना भी व्यय की गुणवत्ता के आकलन में एक नकारात्मक तत्व माना जा सकता है , क्योंकि व्यय वस्तुतः चालू वर्ष मे नहीं किया गया है । अतः इसे इस वर्ष

के व्यय के ऑकड़ें में समाविष्ट नहीं किया जाना चाहिये । सामान्य सेवाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं की हानि का एक और संभव संसूचक है ।

1.8.3 निम्नांकित तालिका में व्यय संसूचकों की प्रवृत्ति सूचीबद्ध की गई है:

स. क.		2000–01 ;1 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001द्ध	2001–02
1.	प्रतिशत के रूप में आयोजनागत व्ययः कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत)	28	27
2.	पूंजीगत व्यय (प्रतिषत)	12	09
3.	प्रतिषत के रूप में सामान्य सेवाओं पर ब्याज भुगतान सहित व्यय कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत)	26	32
4.	व्यय के रूप मे लेखांकित, जमाषीर्ष के अन्तर्गत अव्ययित शेष (करोड़ रूपये में)	43	146

यह देखा जा सकता है कि आयोजनागत व्यय का अंष इस अवधि के दौरान 27 प्रतिषत था । कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंष केवल 9 प्रतिषत था जो राज्य के विकास हेतु अच्छा लक्षण नहीं है ।

एक महत्वपूर्ण निधि (146 करोड़ रूपये) वस्तुतः व्यय किये बिना सिविल निक्षेप में रखी गई । सामान्य सेवाओं पर व्यय में एक साथ वृद्धि हुई । यद्यपि, राज्य सरकार से पूर्ण एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की सूची मॉगी गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (मई 2003)।

व्यय की उपरोक्त प्रवृति व्यय की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव, निधियों को अवरूद्ध रखने समय, लागत से अधिक व्यय तथा योजना के उद्देश्यों की अपूर्णता को दर्शाता है।

1.9 वित्तीय प्रबंधन

सरकार के वित्तीय प्रबंधन के विषय को इसके राजस्व एवं व्यय प्रवर्तन की क्षमता मितव्ययता एवं प्रभावषीलता से जोड़ा जाना चाहिये । इस प्रतिवेदन में आगे के अध्यायों में नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर इससे संबंधित जुड़े प्रकरणों की विवेचना की गई है, विषेषकर जहॉ उनका संबंध सरकार के व्यय प्रबंधन से है । कतिपय अन्य मानदण्ड जिनको लेखाओं तथा सरकार की अन्य संबद्ध वित्तीय जानकारी से पृथक रखा जा सकता है, का उल्लेख इसी भाग में किया गया है ।

1.9.1 निवेष एवं प्रतिलाभ

सरकार विकासात्मक, निर्माणात्मक, विपणन एवं सामाजिक गतिविधियों के संर्वधन हेतु पूंजीगत परिव्यय में निवेष करती है । निवेषों के क्षेत्रवार ब्यौरे तथा समाविष्ट उपक्रमों की संख्या निम्नानुसार है:

क्षेत्र	2000–01 के दौरान (नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001)		2001–02	
	संबंधितों की संख्या	निवेशित राषि	संबंधितों की संख्या	निवेशित राषि
सांविधिक निगम	2	(–) 1.68	7	4.18
सरकारी कम्पनियॉ	–			
संयुक्त पूंजी कम्पनियॉ				
सहकारी संस्थायें एवं बैंकें	9	(–) 0.58	15	11.11
योग	**11**	**(–) 2.26**	**22**	**15.29**

2001–2002 के दौरान घोषित लाभांष/प्राप्त ब्याज एवं सरकार को जमा की राषि 5 करोड़ रूपये थी ।

संयुक्त मध्यप्रदेष राज्य द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों संयुक्त पूंजी, कम्पनियॉ तथा सहकारी संस्थाओं में कुल 1628 करोड़ रूपये के निवेष का अभी उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य बंटवारा किया जाना है ।

1.9.2 सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

अवधि के दौरान 6 वृहद एवं मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं पर 73.43 करोड़ रूपये के राजस्व व्यय के साथ वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि 2001–2002 के दौरान इन परियोजनाओं से राजस्व व्यय की केवल 52 प्रतिशत (38.20 करोड़ रूपये) राजस्व वसूली हुई।

1.9.3 निर्माणाधीन परियोजनाएँ

31 मार्च 2002 की स्थिति में 1597.59 करोड़ रूपये के संचयी निवेष के साथ 59 निर्माणाधीन परियोजनाएँ थी। निर्माणाधीन एवं अपूर्ण परियोजनाओं की पूर्ण सूची प्रतिक्षित थी ।

1.9.4 बकाया राजस्व

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अलावा, बकाया राजस्व के विस्तृत विवरण विभिन्न विभागों से मांगने के उपरान्त भी अब तक प्रतीक्षित है । 31 मार्च 2002 के अनुसार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के बकाया राजस्व इस प्रकार थे :–

राजस्व शीर्ष	**राशि**		**टिप्पणी**
	31 मार्च 2002 को बकाया	**31 मार्च 2002 को पांच वर्षों से अधिक का बकाया**	
	(करोड़ रूपये में)		
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	0.40	0.18	भू–राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु 0.24 करोड़ रूपये सूचित किये गये। न्यायिक प्राधिकारियों/सरकार द्वारा 0. 16 करोड़ रूपये की वसूली स्थगित की गई ।

1.9.5 अर्थोपाय पेषगियॉ एवं अधिविकर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक से किये गये अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में प्रतिदिन न्यूनतम 0.72 करोड़ रूपये का रोकड़ शेष बनाए रखना था । यदि किसी भी दिन सहमत्य न्यूनतम शेष से राषि कम रह जाए तो बैंक से अर्थोपाय पेषगियॉ/विषेष अर्थोपाय पेषगियां लेकर कमी की पूर्ति करनी थी । इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा आवष्यकतानुसार अधिविकर्ष भी दिया जाता है अर्थोपाय पेषगियां/अधिविकर्ष की सहायता लेने का आषय सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय में असन्तुलन होना है और यह सरकार की वित्तीय व्यवस्थापन में विसंगति को दर्षाता है ।

2001–02 के दौरान प्रकट हुआ कि सरकार ने कोई अर्थोपाय पेषगियां नहीं ली जो सकारात्मक सूचक है जिसे बनाये रखा जाना चाहिये ।

1.9.6 घाटा

1.9.6.1 सरकारी लेखे में घाटा आय एवं व्यय में अन्तर को दर्षाता है । घाटे की प्रकृति वित्तीय व्यवस्थापन में सरकार की दूरदर्षिता का महत्वपूर्ण संसूचक होती है । इसके अतिरिक्त घाटे की वित्त पूर्ति के तरीके तथा इस प्रकार से प्राप्त निधियों का उपयोग भी सरकार की राजकोषीय दूरदर्षिता के महत्वपूर्ण संसूचक होते है । इस खण्ड में किया गया विवेचन घाटे की दो अवधारणाओं यथा राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा से संबंधित है ।

1.9.6.2 राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है । राजकोषीय घाटे को राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त सहायक अनुदान सहित) की तुलना में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (दिए गए निवल ऋण सहित) के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । निम्नांकित प्रदर्ष में सरकारी लेखे में घाटे के विवरण दिए गए हैं ।

(करोड़ रूपये में)

समेकित निधि				
प्राप्तियां	राशि		संवितरण	राशि
राजस्व	4376	**राजस्व घाटाः 569**	राजस्व	4945
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	–		पूंजी	476
अन्तर्राज्य समाषोधन	05		अन्तर्राज्य समायोजन	31
कर्जे एवं पेषगियों की वसूली	04		कर्जे एवं पेषगियों का संवितरण	50
उप योग	4385	**सकल राजकोषीय घाटाः 1117**	उप योग	5502
लोक ऋण	995		लोक ऋण का पुनर्भुगतान	184
योग	5380	**अः. समेकित निधि में घाटाः306**	योग	5686
आकस्मिकता निधि				
आकस्मिकता निधि को स्थानांतरित लेखे	–		आकस्मिकता निधि से व्यय	–
		बः आकस्मिकता निधि मे अतिरिक्त/घाटा : निरंक		
		लोक लेखे		
लद्यु बचतें भविष्य निधि आदि	429		लद्यु बचतें भविष्य निधि आदि	343
निक्षेप एवं पेषगियां	902		निक्षेप एवं पेषगियां	722
आरक्षित निधियां	149		आरक्षित निधियां	15
उचंत एवं विविध	2784		उंचन्त एवं विविध	2772
प्रेषण	1356		प्रेषण	1371
योग लोक लेखे	5620	**स : लोक लेखे में आधिक्यः 397**	योग	5223
	नकद शेष में वृद्धि (स–(अ.ब)) त्र 397 – 306 त्र 91			

1117 करोड़ रूपये के सकल राजकोषीय घाटे को लोकऋण से 811 करोड़ रूपये की निवल प्राप्तियों और लोक लेखे से 397 करोड़ रूपये के निवल एवं अन्तः प्रवाह द्वारा आंशिक रूप से संतुलित किया गया जिसके कारण रोकड़ शेष में 91 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई ।

1.9.6.3 राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटियॉ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित निष्चित दायित्वों के जैसे कर्जों के पुनर्भुगतान, अषपूंजी आदि के निराकरण हेतु तथा इनके द्वारा ब्याज एवं लाभांष के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटियां दी जाती हैं । यह राज्य का आकस्मिक दायित्व बनाता है । राज्य विधान मंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसा नियम पारित नहीं किया है जिसमें सरकार राज्य के संचित निधि की सुरक्षा पर अधिकतम सीमा तक गारंटी दे सके । प्रदर्ष–चार दर्षाता है कि अवधि 2001–02 के दौरान सरकार द्वारा संयुक्त स्कंध कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों तथा नगरपालिका, निगमों एवं नगरों को 508 करोड़ रूपये राषि की गारंटी दी गई । 31 मार्च 2002 की स्थिति में लम्बित राषि 466 करोड़ रूपये थी । 01 नवम्बर 2000 से पूर्ववर्ती संयुक्त राज्य मध्य प्रदेश द्वारा 9710 करोड़ रूपये गारंटी के रूप में दिए गए, जिन्हें मध्यप्रदेष एवं छत्तीसगढ़ उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य नियत दिन को अब भी विभाजित किया जाना है ।

1.10 लोक ऋण

1.10.1 भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई भी राज्य भारत के गणराज्य की सीमा के भीतर राज्य के समेकित निधि की जमानत पर उन सीमाओं के अधीन यदि कोई हो जैसा कि राज्य विधायिका के अधिनियम के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया गया, उधार ले सकता है । राज्य विधायिका द्वारा ऐसी कोई सीमा निर्धारित करने हेतु नियम पारित नहीं किया है । 31 मार्च 2002 की स्थिति में राज्य सरकार के निवल दायित्वों का विवरण निम्नांकित सारणी में दिया गया :

वर्ष	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेषगियॉ	निवल लोक ऋण (अ)	अन्य दायित्व (ब)	योग दायित्व (अ. ब)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से ऋण का अनुपात
2000–01	1941	2903	4844	1411	6255	0.24[4]
2001–02	2550	3105	5655	1808	7463	0.25

टीप : *31 मार्च 2002 के अनुसार मध्य प्रदेष एवं छत्तीसगढ़ संयुक्त राज्य की 31 अक्टूबर 2000 की स्थिति में सभी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का विभाजन नहीं किया गया है ।*

[*] अन्य दायित्वों में अल्प बचतें, भविष्य निधियॉ, आरक्षित निधियॉ तथा जमाएं शामिल है।

[4] ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26061.43 करोड़ रूपये के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से संगणित किया गया है।

1.10.2 लोक ऋण के माध्यम से सृजित निधियों की राशि, पुनर्भुगतान की राशि तथा उपलब्ध निवल निधियां निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गई है :

(करोड़ रूपये में)

	2000–01 (01 नवंबर 2000 से 31 मार्च 2001)	2001–02
आन्तरिक ऋण		
प्राप्तियां	209	654
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)		
निवल निधयां उपलब्ध (प्रतिषत)	193	302
भारत सरकार से कर्जे एवं पेषगियां	16 (8)[5]	352 (54)[6]
अवधि के दौरान प्राप्ति		
पुनर्भुगतान	142	341
उपलब्ध निवल निधियां	235	501
प्रतिषत	(–) 93	(–) 160
अन्य दायित्व	(–) (65)	(–) (47)
अवधि के दौरान प्राप्तियां		
पुनभुगतान	536	1154
उपलब्ध निवल निधियां	450	1961
(प्रतिषत)	86(16)	(–) 807
		(–) (70)

उपरोक्त सारिणी से यह देखा गया कि पुनर्भुगतान दायित्वों तथा अन्य दायित्वों को मुक्त करने में उधार निधि के अधिकांष भाग उपयोग किये गये । निवेष हेतु (–) 615 करोड़ रूपये की निवल निधियॉ उपलब्ध थीं विकासात्मक निवेष हेतु इस शीर्ष के अधीन निधियॉ नहीं रखी थी ।

1.11 वित्तीय निष्पादन के संदर्षक

1.11.1 एक सरकार कियाकलापों का या तो विद्यमान स्तर बनाए रख सकती है अथवा कियाकलापों के स्तर में वृद्धि कर सकती है । कियाकलापों का विद्यमान स्तर बनाये रखने के लिए यह जानना आवष्यक होगा कि वित्त पोषण के साधन कहॉ तक उपलब्ध एवं पोषणीय है ।

इस प्रकार, यदि सरकार अपने कियाकलापों के स्तर में वृद्धि करना चाहती है तो वित्त पोषण के साधनों के लचीलेपन और अन्ततः इस प्रकिया में सरकार की बढ़ी हुई भेद्यता की जॉच करना प्रासंगिक होगी । राज्य सरकारों ने अपने कियाकलापों के स्तर को प्रधानतः पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से वृद्धि करना जारी रखा हे जो वार्षिक विकास योजनाओं का रूप लेता है और जिसकी राज्य के बजट में व्यवस्था की जाती है । मोटेतौर पर कहा जा सकता है कि योजनेत्तर व्यय सरकार के कियाकलापों के विद्यमान स्तर को बनाये रखने का परिचायक है जबकि आयोजनागत व्यय कियाकलापों के विस्तार के लिए आवष्यक है । इन दोनों कियाकलापों के लिए स्त्रोतों को

[5] उपलब्ध निवल निधियों की प्रतिषतता वर्ष के दौरान भुगतान किए गये सीमा तक अर्थोपाय पेषगियों को छोड़कर प्राप्तियो के आधार पर संगणित की गई है ।

[6] इसके अपवाद भी हैं, उल्लेखनीय है योजना अवधि के अन्त में आयोजना से योजनेत्तर को अन्तरण ।

गतिषील तथा सरकार की भेद्यता में वृद्धि करने की आवष्यकता होती है । संक्षेप[7] में सरकार की वित्तीय सुदृढ़ता का वर्णन पोषणीयता, लचीलेपन तथा भेद्यता के रूप में किया जा सकता है । इन[8] शब्दों की व्याख्या निम्नानुसार है:

(प) पोषणीयता

पोषणीयता वह स्तर है जहां तक सरकार अपने विद्यमान कार्यक्रमों का रखरखाव कर सकती है तथा विद्यमान लेनदारों की आवश्यकताओं को सरकार पर ऋणभार बढ़ाये बिना पूर्ण कर सकती है ।

(पप) लचीलापन

लचीलापन वह स्तर है जहां तक कि सरकार अपनी बढ़ती हुई वचनबद्धता को पूरा करने हेतु या तो अपने राजस्व आधार का विस्तार कर अथवा अपने ऋणभार में बृद्वि कर अपने वित्तीय संसाधन बढ़ा सकती है ।

(पपप) भेद्यता

भेद्यता वह स्तर है जिस स्तर तक कोई सरकार निर्भर रह सकती है एवं इसके लिये अपने नियंत्रण अथवा प्रभाव से परे आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर वित्त पोषक के संसाधनों के प्रति भेद्य रहती है ।

(पअ) पारदर्शिता

यहां सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई वित्तीय सूचना का मुद्दा भी है । इसमें वार्षिक विवरण पत्र (बजट) तथा लेखें समाविष्ट हैं । जहां तक बजट का प्रश्न है, इसके महत्वपूर्ण मानदण्ड बजट प्रकिया की दक्षता दर्शाते हुए समय पर प्रस्तुति और अनुमानों की परिशुद्वता है । जहां तक लेखाओं का प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण में निर्धारित चरणों के अनुसार समयबद्वता तथा लेखाओं की पूर्णता मुख्य कसौटी है ।

1.11.2 वित्त लेखे में उपलब्ध जानकारी पोषणीयता, लचीलेपन एवं भेद्यता को दर्शाने हेतु उपयोग में लाई जा सकती है जो वित्त लेखे से संगणित कतिपय देशनाओं/अनुपातों के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है । ऐसी देशनाओं /अनुपातों की सूची **परिशिष्ट–I** में दी गई है ।

---

[7] उपलब्ध निवल निधियों की प्रतिषतता वर्ष के दौरान भुगतान किए गये सीमा तक अर्थोपाय पेषगियों को छोड़कर प्राप्तियों के आधार पर संगणित की गई है ।

[8] इसके अपवाद भी है, उल्लेखनीय है योजना अवधि के अन्त में आयोजना से योजनेत्तर को अन्तरण ।

प्रदर्श–V

छत्तीसगढ़ सरकार के लिए वित्तीय देशनाएं

2000–01(नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001)		2001–2002
	पोषणीयता	
343	बी.सी.आर.(करोड़ रूपये में)	105
(–) 335	प्राथमिक घाटा (करोड़ रूपये में)	386
0.15	ब्याज अनुपात	0.16
0.56	पूंजीगत परिव्यय/पूंजीगत प्राप्तियां	0.46
0.12	कुल कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.10
0.07	राज्य कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.07
–	निवेश पर प्रति लाभ (प्रतिशत)	33
	लचीलापन	
343	बी.सी.आर.(करोड़ रूपये में)	105
0.23	पूंजीगत पुर्न भुगतान/पूंजीगत कर्जे	0.18
0.07	राज्य कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.10
0.24	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.25
	भेद्यता	
(–) 273	राजस्व घाटा (करोड़ रूपये में)	569′
50	राजकोषीय घाटा (करोड़ रूपये में)	1117′
(–)335	प्रारंभिक घाटा (करोड़ रूपये में)	386
–	प्रारंभिक घाटा/एफ.डी.	0.34
–	आर.डी./एफ.डी.	0.50
–	अदत्त गारंटियां/ राजस्व प्राप्तियां	0.11
0.36	परि सम्पत्तियां/दायित्व	0.38

′ *वर्ष के अंत में राजस्व के साथ वित्तीय घाटा*

टिप्पणियां :

1 राजकोषीय घाटा की संगणना इस प्रकार की गई है : राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय +निवल ऋण तथा पेशगियां + अर्न्त राज्य समाशोधन – राजस्व प्राप्तियां –ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां – अंतर्राज्यीय समाशोधन

2 पूंजीगत परिव्यय के विरूद्व पूंजीगत प्राप्तियों के अनुपात में मानक इस प्रकार लिया गया है :आंतरिक कर्जे + भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां + लघु बचतों एवं भविष्य निधि आदि से निवल प्राप्तियां +राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जे से प्राप्त पुनर्भुगतान – राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे।

3 वित्तीय संसूचकों हेतु कार्य विवरण **परिशिष्ट – II** में दिए गए हैं ।

1.11.3 राज्य सरकार की वित्तीय सुद्वढ़ता की स्थिति हेतु इन देशनाओं/ अनुपातों के निहितार्थो की विवेचना नीचे की गई है :

(i) चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर)

चालू राजस्व से शेष की परिभाषा राजस्व प्राप्तियों में से आयोजनागत अनुदानों तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को घटाते हुए की जाती है । सकारात्मक चालू राजस्व शेष दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास आयोजनागत व्यय की पूर्ति हेतु अपनी राजस्व बचत है । प्रदर्श–ट दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास अवधि के दौरान सकारात्मक चालू राजस्व है और वह चालू राजस्व से अपने योजनागत व्यय के लिए 105 करोड़ रूपये का योगदान कर सकती है ।

(ii) ब्याज अनुपात

ब्याज अनुपात की परिभाषा निम्नानुसार की जाती है :

$$\frac{\text{ब्याज भुगतान} - \text{ब्याज प्राप्तियां}}{\text{कुल राजस्व प्राप्तियां} - \text{ब्याज प्राप्तियां}}$$

ब्याज का अनुपात जितना उच्च्तर होता है ,उतनी ही सरकार की कोई नई ऋण सेवा प्रदान करने की और अपने राजस्व व्यय की पूर्ति अपनी राजस्व प्राप्तियों मे से करने का दायित्व कम हो जाता है । बढ़ते हुए ब्याज अनुपात से पोषणीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जबकि यह बढ़ते हुए ब्याज भार का द्योतक है । छत्तीसगढ़ सरकार ने 0.16 के महत्वपूर्ण ब्याज अनुपात से आरम्भ किया है ।

(iii) पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत सरंचना हेतु पूंजीगत प्राप्तियां किस सीमा तक प्रयुक्त की गई है यह इस अनुपात से प्रकट होता है । एक से कम का अनुपात आगे चल कर अधिक से अधिक पोषणीय नहीं होता यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियेां का एक भाग अनुत्पादक राजस्व व्यय को अंतरित किया जा रहा है । इसके विपरीत,एक से अधिक का अनुपात दर्शाता है कि राजस्व आधिक्य से पूंजीगत निवेश किया जा रहा है ।

इस अनुपात की प्रवृति का विश्लेषण राज्य सरकार के राज्य कोषीय निष्पादन पर निर्भर करता है। एक विकासात्मक प्रवृत्ति का पर्याय निष्पादन में सुधारात्मक हैं। 0.46 का चालू अनुपात दर्शाता है कि पूंजीगत प्राप्तियों का आधे से थोड़ा कम पूंजीगत संरचना हेतु प्रयुक्त किया गया। जबकि राजस्व प्राप्तियों के शेष अनुत्पादक/राजस्व व्यय हेतु अंतरित किए गए।

(iv) कर प्राप्तियों के विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद

कर प्राप्तियों में राज्य कर तथा केन्द्रीय करों का राज्यांश समाविष्ट है। कर प्राप्तियां पोषणीयता का संकेत देती है। परंतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कर प्राप्तियों के अनुपात का निहितार्थ लचीलापन भी होगा। कम अनुपात से तात्पर्य होगा कि सरकार अधिक कराधान कर सकती है। जबकि इसका लचीलापन, एक उच्च अनुपात न केवल इस वित्तीय स्त्रोत की सीमा का द्योतक होगा अपितु लचीलापन न होने का भी द्योतक होगा। यह दर्शाता है कि राज्य के पास कर ढांचे को विस्तृत तथा वृद्धि कर अपने संसाधनों को विकसित कर गतिशीलता लाने का विकल्प होता है। अन्यथा राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु कर्जे में वृद्धि करनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु स्वयं की कर–सकल राज्य घरेलू उत्पाद और समस्त कर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, अवधि 2001–02 हेतु क्रमशः 0.07 तथा 0.10 थे ।

(v) पूंजीगत पुनर्भुगतान के विरूद्ध पूंजीगत कर्जे

यह अनुपात जिस सीमा तक पूंजीगत पुनर्भुगतान के उपरांत निवेश हेतु पूंजीगत उधारियों उपलब्ध होती है वह सीमा दर्शाता है। अनुपात जितना कम होगा निवेश हेतु पूंजी की उपलब्धता उतनी ही अधिक होगी। अवधि के दौरान अनुपात 0.18 था जो दर्शाता है कि 18 प्रतिशत पूंजीगत उधारियां पूंजी निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं थी।

(vi) ऋण विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य सरकार का कुल आंतरिक संसाधन आधार है जिसका उपयोग ऋण सेवा के लिए किया जा सकता है। ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का बढ़ता हुआ अनुपात राज्य सरकार की अपने ऋण दायित्वों की पूर्ति की क्षमता में कमी इंगित करेगा और इसलिए उधार गृहीता के लिए जोखिम में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ के लिए यह अनुपात 0.25 था।

(vii) राजस्व घाटा के विरूद्ध राजकोषीय घाटा

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का आधिक्य है और उधारियों से वित्त पोषित राजस्व व्यय का भाग प्रदर्शित करता है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व घाटा जितना अधिक होगा राज्य उतना ही अधिक भेद्य होता है। चूंकि राज्य कोषीय घाटा समस्त उधारियों का योग है अतः राज्य कोषीय घाटे के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा उस सीमा का द्योतक है जिस सीमा तक सरकार उधारियों का उपयोग अनुत्पादक राजस्व व्यय के वित्तपोषण हेतु कर रही है। इस प्रकार जितना अधिक अनुपात होता है उतना ही अधिक राज्य की प्रतिकूल स्थिति होती है क्योंकि इस स्थिति से यह प्रकट होगा कि राज्य की पुनर्भुगतान क्षमता में वृद्धि के बिना ही ऋण भार बढ़ रहा है। प्रवृत्ति विश्लेषण संभव नहीं है। तथापि नवीन राज्य होने के कारण यह अनुपात 0.50 था।

(viii) प्रारंभिक घाटा के विरूद्ध राजकोषीय घाटा

प्रारंभिक घाटा ब्याज भुगतान घटाकर राजकोषीय घाटा है। प्रारंभिक घाटा सरकार की वर्तमान गतिविधियों के कारण उत्पन्न ब्याज दायित्व चुकाने के पश्चात उपलब्ध निवल उधारियों की आवश्यकता (यह मानते हुये कि ब्याज भुगतान सरकार के विगत कार्यों के परिणाम है) का द्योतक है। अवधि के दौरान राज्य सरकार के पास 386 करोड़ रूपये का प्रारंभिक घाटा तथा 1117 करोड़ रूपये का राजकोषीय घाटा था।

(ix) गारंटियों के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियां

सरकार द्वारा जारी समाश्वासन पत्रों सहित बकाया गारंटियां राज्य सरकार की जोखिम की सीमा प्रकट करती है और इसीलिए इसकी राज्य की भुगतान करने की अर्थात इसकी राजस्व प्राप्तियों की क्षमता से तुलना की जानी चाहिए। इस प्रकार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल बकाया गारंटियों का अनुपात राज्य सरकार की भेद्यता के स्तर का द्योतक है। छत्तीसगढ़ के संबंध में यह अनुपात 0.11 था तथा मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़, उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य लंबित विभाजन हेतु मध्यप्रदेश के लेखें में गारंटियां राशि 9709.60 करोड़ रूपये रखी गई है।

(x) परिसंपत्तियों विरूद्ध दायित्व

यह अनुपात राज्य सरकार ऋण शोधन क्षमता को दर्शाता है। एकसे अधिक का अनुपात इस तथ्य का द्योतक होगा कि राज्य सरकार में ऋण शोधन क्षमता है (परिसंपत्तियां, दायित्वों से अधिक है।) जबकि एक से कम का अनुपात विपरीत सूचक होगा। जैसा कि कंडिका 1.2 में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी लेखे में मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं समाविष्ट रहती है। तथापि, इस अनुपात की प्रवृति भी वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता की महत्वपूर्ण संसूचक होगी। प्रदर्श .ट दर्शाता है कि यह अनुपात 0.38 था, तथापि अधिक स्पष्ट स्थिति उत्तराधिकारी राज्य छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के पूर्णरूपेण आवंटन के पश्चात ही उपलब्ध होगी।

(xi) बजट

बजट संबंधी अनुमानों की प्रस्तुती तथा उनके अनुमोदन में कोई विलंब नहीं हुआ। विवरण निम्नलिखित तालिका में दिये गये हैं–

तैयारी	प्रस्तुति का माह	अनुमोदन का माह
लेखानुदान	मार्च 2001	मार्च 2001
बजट	मार्च 2001	अप्रैल 2001
प्रथम अनुपुरक	जुलाई 2001	जुलाई 2001
द्वितीय अनुपुरक	दिसंबर 2001	दिसंबर 2001
तृतीय अनुपुरक	फरवरी 2002	फरवरी 2002

इस प्रतिवेदन के दूसरे अध्याय में बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय में भिन्नताओं और साथ ही बजट प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण के स्वरूप का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।

(xii) लेखे

अवधि के दौरान कोषालायों/विभागों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति में कोई महत्वपूर्ण विलंब नहीं हुआ।

1.11.4 निष्कर्ष

नवीन छत्तीसगढ़ राज्य में भूतपूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिले है और यह राज्य 1 नवंबर 2000 को बना । मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के संदर्भ में संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की प्रत्येक प्रकरण में किये जाने वाले नवंबर 2000 पूर्व की परिसंपत्तियों तथा देयताओं तथा अन्य वित्तीय समायोजन के बंटवारे की प्रक्रिया अपूर्ण है। यद्यपि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का स्पष्ट चित्र इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत ही उभरेगा तथापि तात्कालिक रूप से कुछ संकेतक देखने योग्य है। राज्य (नवीन) में पूर्व वर्ष की 273 करोड़ रूपये की बचत के विरूद्ध 2001–2002 की अवधि के दौरान 569 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा था । आगे मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य दायित्वों की विभाजन प्रक्रिया एक बार पूर्ण होने पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ऋण अनुपात में वृद्धि होगी।